

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामपुर

टैक्नीकल बिड

01. कार्य का नाम	: आवास विकास कालोनी (योजना संख्या-01,02, व 03 की सीवर लाईन का सेन्टरिंग का कार्य) वित्तीय वर्ष 2009- के शेष 04 (चार) माह हेतु।
02. निविदा मूल्य	: 500.00
03. निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय	: 11/11/09 दोपहर 2:00 बजे तक
04. निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय	: 11/11/09 दोपहर 3:00 बजे तक
05. निविदा खुलने की तिथि व समय	: 11/11/09 सायं 5:00 बजे
06. अर्नेस्ट मनी	: 5,800.00
<u>टैक्नीकल बिड हेतु प्रपत्र</u>	:
1. अर्नेस्ट मनी का विवरण	:
2. सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स में पंजीकरण का न०	:
3. सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	:
4. गत वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति	:
5. नगर पालिका परिषद में पंजीकरण न०-	:

निविदादाता के हस्ताक्षर
सील सहित

शर्त :-

1. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/पे आर्डर/कैश के रूप में जमा करवाई जानी अनिवार्य है। जो कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर के नाम बन्धक होगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. निविदा टैक्नीकल बिड तथा फाईनैन्शियल बिड जो कि प्रथक-प्रथक लिफाफे जिसके उपर कार्य का नाम लिखा होगा ही ली जायेगी व सर्व प्रथम टैक्नीकल निविदा को ही खोला जायेगा।
3. ठेकेदार को प्रत्येक योजना पर 4-4 कर्मचारियों को लगाना आवश्यक होगा जो सीवर कार्य का अनुभव रखते हों।
4. ठेकेदार के द्वारा लगाये गये सीवर कर्मचारियों को कार्य हेतु उपकरण उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी की लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना होती है अथवा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित कोई विवाद होता है, तो उसकी उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद, रामपुर की नहीं होगी।
5. निविदादाता की किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है साथ ही सीवर मैन्टीनेन्स करने का 3 वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है।
6. निरीक्षण के समय यदि कर्मचारी कम पाये गये तो रू0 75/- प्रति कर्मचारी प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
7. ठेकेदार को कार्य पर लगाये गये समस्त कर्मचारियों की सूची प्रतिमाह नाम, पते व फोटो सहित जलकल विभाग को देनी होगी।
8. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में नगर पालिका के सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि एक माह के पूर्व नोटिस पर ठेका समाप्त कर सकता है।
9. सम्बन्धित ठेकेदार को एक शिकायत रजिस्टर व एक वर्क रजिस्टर बनाना होगा जिस पर वह नागरिकों से प्राप्त शिकायतों व कराये गये कार्य विवरण अंकित करेगा तथा बिल भुगतान के समय अवर अभियन्ता (जल)/जलकल अभियन्ता को अवलोकित करायेगा।
10. सीवर मैन्टीनेन्स कार्य हेतु ठेकेदार की माँग पर आवश्यकतानुसार डीजल उपलब्ध कराना होगा। जिसका विवरण ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।
11. माह के अन्त में ठेकेदार के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जायेगा जिसका भुगतान कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अवर अभियन्ता (जल)/जलकल अभियन्ता की संस्तुति पर सहमति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


जलकल अभियन्ता

नगर पालिका परिषद, रामपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामपुर

फाईनैशियल बिड

01. कार्य का नाम : आवास विकास कालोनी (योजना संख्या-01,02, व 03 की सीवर लाईन का सेन्टरिंग का कार्य) वित्तीय वर्ष 2009-10 शेष 04 (चार) माह हेतु।
02. निविदा मूल्य : 500.00
03. निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय : 11/11/09 दोपहर 2:00 बजे तक
04. निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय : 11/11/09 दोपहर 3:00 बजे तक
05. निविदा खुलने की तिथि व समय : 11/11/09 सायं 5:00 बजे
06. अर्नेस्ट मनी : 5,800.00

क्रम सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय प्रतिमाह	निविदा दर
01	आवास विकास कालोनी योजना संख्या-01,02, व 03 की सीवर लाइनों का मैन्टीनेन्स का कार्य जिसके अर्न्तगत प्रत्येक योजना में 4-4 सीवर कर्मचारियों को लगाना अनिवार्य होगा।	रु० 32,175.00 प्रति माह, योजना सं०-01,02 व 03	

अर्नेस्ट मनी का विवरण :-

शर्तें :-

हस्ताक्षर ठेकेदार

नाम व पूरा पता

- निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/पे आर्डर/कैश के रूप में जमा करवाई जानी अनिवार्य है। जो कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर के नाम बन्धक होगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- निविदा **टैक्नीकल बिड** तथा **फाईनैशियल बिड** जो कि प्रथक-प्रथक लिफाफे जिसके उपर कार्य का नाम लिखा होगा ही ली जायेगी व **सर्व प्रथम टैक्नीकल निविदा** को ही खोला जायेगा।
- ठेकेदार को प्रत्येक योजना पर 4-4 **कर्मचारियों को लगाना आवश्यक होगा जो सीवर कार्य का अनुभव रखते हों।**
- ठेकेदार के द्वारा लगाये गये सीवर कर्मचारियों को कार्य हेतु उपकरण उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी की लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना होती है अथवा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित कोई विवाद होता है, तो उसकी उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद, रामपुर की नहीं होगी।
- निविदादाता की किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है साथ ही सीवर मैन्टीनेन्स करने का 3 वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है।**
- निरीक्षण के समय यदि कर्मचारी कम पाये गये तो रु० 75/- प्रति कर्मचारी प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
- ठेकेदार को कार्य पर लगाये गये समस्त कर्मचारियों की सूची प्रतिमाह नाम, पते व फोटो सहित जलकल विभाग को देनी होगी।
- कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में नगर पालिका के सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि एक माह के पूर्व नोटिस पर ठेका समाप्त कर सकता है।
- सम्बन्धित ठेकेदार को एक शिकायत रजिस्टर व एक वर्क रजिस्टर बनाना होगा जिस पर वह नागरिकों से प्राप्त शिकायतों व कराये गये कार्य विवरण अंकित करेगा तथा बिल भुगतान के समय अवर अभियन्ता (जल)/जलकल अभियन्ता को अवलोकित करायेगा।
- सीवर मैन्टीनेन्स कार्य हेतु ठेकेदार की मॉंग पर आवश्यकतानुसार डीजल उपलब्ध कराना होगा। जिसका विवरण ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।
- माह के अन्त में ठेकेदार के द्वारा बिल प्रस्तुत किया जायेगा जिसका भुगतान कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अवर अभियन्ता (जल)/जलकल अभियन्ता की संस्तुति पर सहमति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


 जलकल अभियन्ता
 नगर पालिका परिषद, रामपुर